रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1689] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2014/भाद्र 5, 1936
No. 1689] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2014/BHADRA 5, 1936

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2014

का.आ. **2167(अ).**—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के अधीन प्रारुप अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार भारत सरकार की तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 551(अ) तारीख 25 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 25 फरवरी, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रस्तावित प्रारुप अधिसूचना के संबंध में, प्राप्त सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

और, सिक्किम राज्य सरकार द्वारा किताम पक्षी अभ्यारण (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् अभ्यारण कहा गया है), दक्षिणी सिक्किम को इसके पारिस्थितिक, वनस्पतिजात, प्राणिजात और प्राकृतिक महत्व का घोषित किया था और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन अधिसूचना संख्यांक 37/एफ.ई.डब्ल्यूएमडी, तारीख 17 जून, 2006 द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण, प्रसार और विकास के लिए इसकी आवश्यकता है;

और अभ्यारण का क्षेत्र 6.0 वर्ग किलोमीटर है और यह समुद्र तल मान से 320-875 मीटर की उच्चतांश रेंज के उष्ण कटिबंधीय पारिस्थितकीय क्षेत्र में अवस्थित है तथा साल (शोरिया रोबोस्टा) और चीड, देवदार (पीनस शॅक्सबुगी रोप्सब्रूगेरी) वनों का एक विशिष्ट संगम है जिसमें राष्ट्रीय पक्षी मयूर विशाल संख्या में रहते हैं और साल और चीड दोनों की प्रमुख प्रजातियों में टर्मिनालिया, कास्टानोपिस, एंजेलहार्डटिया, बेटूला जाति के मिश्रित चौड़ी पत्ती के वनों में प्रमुख प्रजातियां है । सागौन (टिकटौना ग्रेंडिस) भी पाए जाते है;

और राज्य की दक्षिणी सीमा पश्चिमी बंगाल के साथ महारंगीत नदी द्वारा पृथक् सीमा बनाती है;

और अभ्यारण स्तनपायी में सामान्य तेंदुआ (पेंथर पारडुस), असमी बानर (माका असामनसीस), लघुपुच्छ बानर (मकाका मुलाटा), भोंकू हिरण (मुनकियाकस मुंटजेक), जंगली शूकर (सुस सकरोफा), चीनी साल (मेनिस पेंटाडेक्टाइला), हिमालयी

अकिरीटी सेही (हिस्ट्रिक्स ब्राचयूरा), हिमालयी मुसंग (पागुमा लारवाटा) आदि और सरीसृप में भारतीय शैल अजगर सामान्य है, का आश्रय है;

और पक्षी प्राणिजात जिसके अंतर्गत भारतीय मयूर (पावो क्रिसटाटस), कालीज चकोर (लोफूरा ल्यूकोमेलाना) लाल जंगल मुर्गी (गैलस गैलस), सामान्य पहाड़ी तीतर (आरबोरोफिला टोरक्यूओला), महान पहाड़ी बसंता (मेगालेयमा विरेन्स), सुनहरा गला बसंता (मेगालेयना फ्रेंकलिनी), हिमालयन सुनहरी पीठ तीन पैर वाला कठफोड़वा (डिनोपियम शोरी), भारतीय चितकबरा धनेश (एन्थ्राकोकेरस कोरोमेटस), और इसके समान भी है;

और किताम पक्षी अभ्यारण के चारों ओर के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित करना और उसमें वन्य जीव और उसके पर्यावरण के सुधार और विकास को प्रवर्धन करना आवश्यक है;

और किताम पक्षी अभ्यारण के चारों और के कतिपय क्षेत्र को पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट करना और उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उद्योगों का प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्ग के प्रचालन और प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य में किताम पक्षी अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 25 मीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार किताम पक्षी अभ्यारण की पश्चिमी सीमा से पच्चीस मीटर तक है और दक्षिणी पश्चिमी भाग में पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार रंगिट नदी के बाहरी तट तक होगा ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन, उत्तर पूर्व (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.1) की ओर 27^0 7'15'' उत्तर अक्षांश और 88^0 21'51'' पूर्व देशान्तर; पश्चिम (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.3) की ओर 27^0 6'33'' अक्षांश तथा 88^0 20'39'' पूर्व देशान्तर ; दक्षिण (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं. 4) की ओर 27^0 5'55'' उत्तर अक्षांश और 88^0 21'7'' पूर्व देशान्तर और दक्षिण पूर्व (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.5) की ओर 27^0 05'53'' उत्तर अक्षांश तथा 88^0 21'34'' पूर्व देशान्तर से घिरा हुआ है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र इस अधिसूचना से उपाबद्ध अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध 1** के रूप में दिया गया है ।

(4) किताम पक्षी अभ्यारण पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले दो ग्रामों अर्थात् ऊपरी किताम और निचला किताम इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्रमुख बिन्दुओं पर उनके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध 2** में दी गई है :

परंतु उपाबंध 2 ग्रामों की सूची जोनल महायोजना में राज्य सरकार द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगी ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए स्थानीय व्यक्तियों और राज्य सरकार के निम्नलिखित संबद्ध विभागों के परामर्श से जोनल मास्टर प्लान तैयार करेगी, अर्थात् :-

(i) वन, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंध
(ii) सिक्किम पुलिस
(iii) शहरी और आवास विकास
(iv) पर्यटन
(v) ग्रामीण प्रबंध और विकास
(vi) सिचाई और बाढ़ नियंत्रण
(vii) लोक निर्माण विभाग
(viii) भू-राजस्व
(ix) आपदा प्रबंध

(2) जोनल मास्टर प्लान में निम्नीकृत क्षेत्रों के पुनरुद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरण प्रबंधन, भू-जल प्रबंधन, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(3) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, वनों के किस्म और प्रकार, कृषि क्षेत्र, उद्यान-कृषि क्षेत्र, झीलों, अन्य जल निकायों और उनसे निकटवर्ती इकाइयों का अभ्यंकन करेगा ।

(4) जोनल मास्टर प्लान में पैरा 4 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रियाकलापों के विनियमन के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मानदंडों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(5) जोनल मास्टर प्लान, प्रादेशिक विकास योजना के सहलक्षीय तैयार किया जाएगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) **भू-उपयोग—**पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए भू-उपयोग में संपरिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि योग्य भूमि का संपरिवर्तन, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश पर, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 12, सं. 25, सं. 26, सं. 30 और सं. 31 में सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :—

(i) वर्षा जल संचय,

(ii) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकार आदि भी हैं,

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं, जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग किओस, रज्जुरेल इत्यादि,

(v) सुरक्षा बलों के कैंप

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के बिना विकास क्रियाकलापों से संबंधित वाणिज्यिक या उद्योग के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुपालन के बिना उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि राज्य स्तरीय पारिस्थिकीय संवेदी जोन मानीटरी समिति (रा.पा.सं.जो.मा.स.) के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(2) **प्राकृतिक जलस्रोत—**सभी जलस्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनमें से जो अपनी प्राकृतिक संरचना में सूख रहे हैं, उनके संरक्षण तथा पुनरुद्भूतकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन**--पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जिसमें जोनल मास्टर प्लान का भाग रूप निम्नलिखित रूप में होंगे, अर्थात् :—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा तथा पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी प्रकार के नए संनिर्माण सारणी के पैरा 4 के स्तंभ (2) के अधीन पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग, किओस, रज्जुरेल इत्यादि और उससे संबंधित मद सं. 30 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के सिवाय अनुज्ञात नहीं होंगे;

IndiaCode

(iii) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किए जाने तक, विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा;

(4) **नैसर्गिक विरासत—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ; सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा और उनकी संरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) **ध्वनि प्रदूषण—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पर्यावरण विभाग या सिक्किम राज्य का वन विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(6) **वायु प्रदूषण—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पर्यावरण विभाग या वन विभाग, सिक्किम राज्य, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981(1981 का 14) के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **बहिस्त्रावों का निस्सारण :—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(8) **ठोस अपशिष्ट :—**ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(9) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 में प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(10) **यानिक यातायात परिवहन—**परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञा प्राप्त	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	हां	-	-	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां सिवाय स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के लिए प्रतिषेध है; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका (सी) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले

IndiaCode

					में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	वृक्षों की कटाई	-	हां	-	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी; (ख) संबंधित केंदीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी ।
3.	आरा मशीनों की स्थापना ।	हां	-	-	
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण के कारण उद्योगों की स्थापना करना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए या विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	किसी परिसंकटमय सामग्री का उपयोग या उत्पादन ।	हां	-	-	
6.	वाणिज्यिक होटल और सैरगाह की स्थापना करना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई नए या विद्यमान वाणिज्यिक स्थापनों का विस्तार जैसे होटल और सैरगाह अनुज्ञात नहीं होंगे ।
7.	जलाने के लिए उपयुक्त लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	हां	-	-	
8.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूजल संचयन भी है ।	-	हां	-	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा; (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण, जिसके अंतर्गत निष्कर्षण किए जा सकने वाले जल की मात्रा भी है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी; (ग) सतही या भूजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा; (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
9.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए जल विद्युत परियोजना संयंत्रों (बांध, सुरंग बनाने और जलाशय के संनिर्माण) की स्थापना और विद्यमान संयंत्रों के विस्तार के सिवाय सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट तक) या लघु विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट से 2000 किलोवाट तक), जो स्थानीय समुदायों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, संबधित ग्राम सभा और अन्य आवश्यक अनापत्तियों के अध्यधीन रहते हुए प्रतिषिद्ध होगी ।
10.	बिजली के तारों और दूर संचार टावरों का परिनिर्माण ।	-	हां	-	भूमिगत केबिलिंग को बढ़ावा देना ।

IndiaCode

11.	स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	-	-	हां	
12.	वर्षा जल संचयन	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा ।
13.	होटलों तथा विश्रामालयों के विद्यमान परिसरों की बाड़ लगाना	-	हां	-	
14.	वनस्पतिक बाड़	-	-	हां	
15.	जैविक खेती	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	-	हां	-	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और अवशमन के लागू होने वाले उपायों के अनुसार करना होगा ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	-	हां	-	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ।
18.	विदेशी प्रजातियों का प्रवेश	-	हां	-	
19.	पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों जैसे वन्य-जीव अभ्यारण क्षेत्र के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना, आदि करना।	हां	-	-	
20.	पहाड़ी ढालों और नदी के किनारों का संरक्षण	-	हां	-	
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्र्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	हां	-	-	
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्र्राव का निस्सारण	-	हां	-	उपचारित बहिस्र्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	-	हां	-	
24.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
25.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	-	-	हां	
26.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	-	हां	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्पकृषि,

IndiaCode

					उद्यानकृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
27.	नई लकड़ी आधारित उद्योग	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नई लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना तुरंत प्रभाव से अनुज्ञात नहीं होगी ।
28.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण	-	हां	-	
29.	संनिर्माण क्रियाकलाप	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में सिवाय, स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत मद संख्या 11, मद संख्या 25, मद संख्या 30 और मद संख्या 31 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के तत्काल प्रभाव से किसी प्रकार का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा । मद संख्या 26 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप के मामले में संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित करते हुए उन्हें न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा ।
30.	पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग, किओस, रज्जुरेल इत्यादि	-	हां	-	
31.	सुरक्षा बल कैंप	-	हां	-	
32.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग	हां	-	-	

5. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति: (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए सिक्किम राज्य के लिए एक समिति गठित की गयी, जिसका नाम राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (एसईएसजेडएमसी), जो निम्नलिखित से मिलकर बनी, अर्थात् :—

(i) मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार - अध्यक्ष;

(ii) मुख्य वन्यजीव वार्डन, सिक्किम सरकार - सदस्य;

(iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि - सदस्य;

(iv) पीसीसीएफ, सिक्किम सरकार - सदस्य;

(v) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य;

(vi) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का सिक्किम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि (एक वर्ष की अवधि के लिए) -सदस्य;

(vii) सिक्किम सरकार के ग्रामीण प्रबंधन विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य;

(viii) गोविंदवल्लभ पंत हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सिक्किम का प्रतिनिधि - सदस्य;

IndiaCode

(ix) सिक्किम सरकार के कृषि विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य;

(x) सिक्किम सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य;

(xi) संबंधित जिले का कलक्टर -सदस्य;

(xii) प्रभागीय वन अधिकारी (पीए का प्रभारी) -सदस्य;

(xiii) मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) - सदस्य सचिव ।

(2) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) , तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संबद्ध उद्यान का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति उक्त वर्ष की 30 जून तक प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध 3** में दिए गए प्रोफार्मा में, की गई कार्रवाई की अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

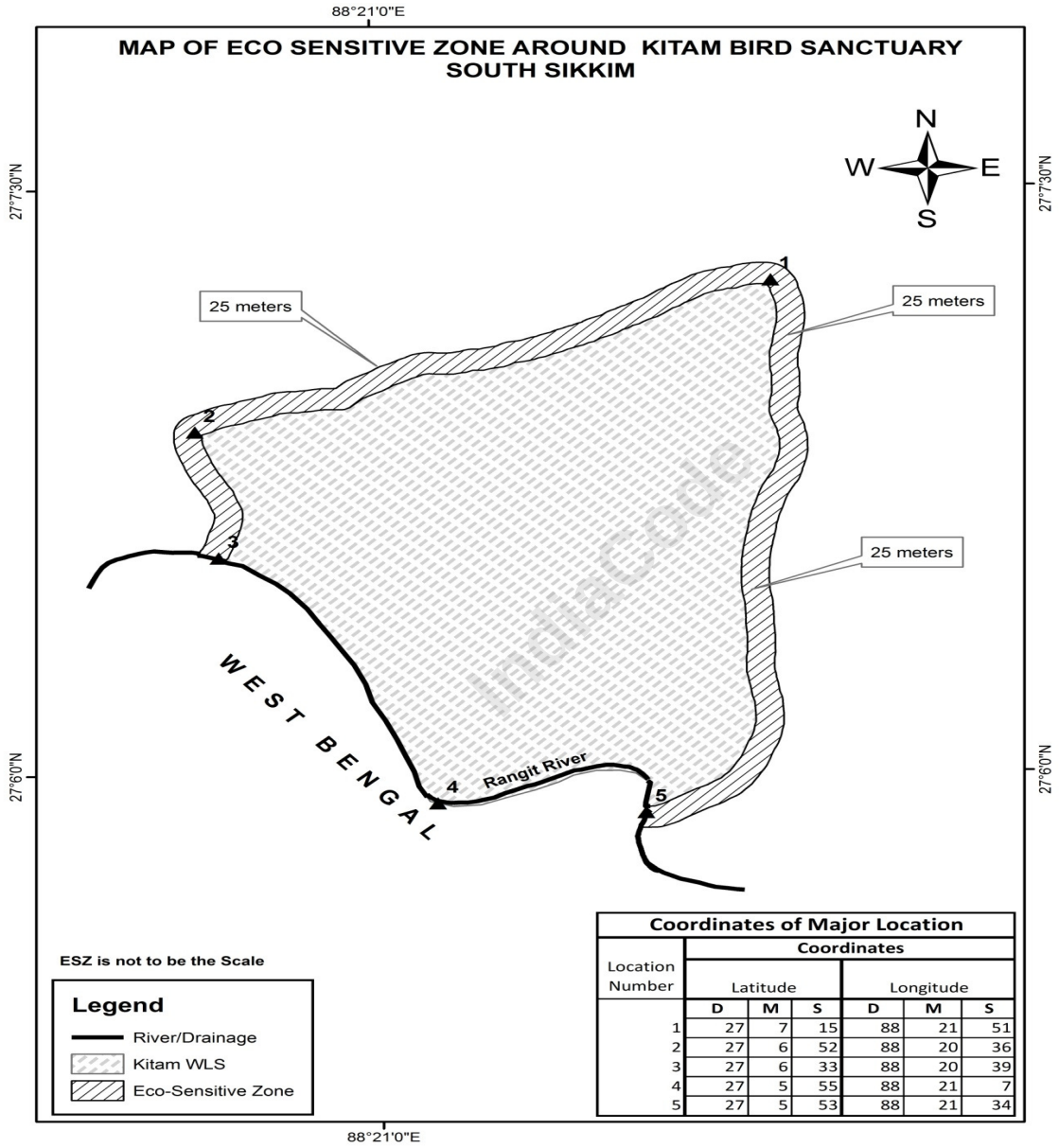
(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

[फा.सं. 25/11/2013-ईएसजेड/आरई]

डॉ. जी.वी.सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-1

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के मानचित्र को दर्शित करने वाले अंतिम और विस्तारित अक्षांश और देशान्तर ।



Coordinates of Major Location

Location Number	Coordinates					
	Latitude			Longitude		
	D	M	S	D	M	S
1	27	7	15	88	21	51
2	27	6	52	88	20	36
3	27	6	33	88	20	39
4	27	5	55	88	21	7
5	27	5	53	88	21	34

उपाबंध-2

किताम पक्षी अभ्यारण, दक्षिणी सिक्किम के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्रम सं.	नाम	अक्षांश			देशान्तर		
		डिग्री	मिनट	सेकंड	डिग्री	मिनट	सेकंड
1	ऊपरी किताम	27	6	56	88	20	52
2	निचला किताम	27	7	7	88	21	28

उपाबंध-**3**

कार्रवाई की गई रिपोर्ट का प्रोफार्मा - राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और डाटा
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2014

S.O. 2167(E).—Whereas, a draft notification under sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 551(E), dated the 25th February, 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 25th February, 2014;

And whereas, suggestions received in respect of the proposed draft notification have been considered by the Central Government;

And whereas, the Kitam Bird Sanctuary (hereinafter referred to as the Sanctuary), South Sikkim was declared by the State Government of Sikkim considering its ecological, floral, faunal, and nature significance and its need for the protection, propagation and development of wildlife and its environment under the provision of Wildlife (Protection) Act, 1972 *vide* Notification No. 37/FEWMD, dated the 17th June, 2006;

And whereas, the area of the sanctuary is 6.0 square kilometers and it is located in the tropical eco-region at an altitudinal range of 320-875 metres from the mean sea level and harboursa unique association of Sal (*Shorea robusta*) and Chir Pine (*Pinus roxburghii*) forestswhich nestles a large number of Peafowls, the national bird and both the Sal and Chir Pine are dominant species in the Mixed Broad-Leaved Forests of *Terminalia, Castanopsis, Engelhardtia, Betula* species and Teak (*Tectona grandis*);

And whereas, the State's southern boundary bordering with the West Bengal State is separated by the Great Rangeet River;

And whereas, the sanctuary harbours Common Leopard (*Panther pardus*), Assamese macaque (*macca assamensis*), Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*), Barking Deer (*Muntiacus muntjac*), Wild Boar (*Sus scrofa)* , Chinese Pangolin (*Manis pentadactyla*), Himalayan Crestless Porcupine (*Hystrix brachyura*), Himalayan Palm Civet (*Paguma larvata)* etc. among the mammals and among the reptiles, the Indian Rock Python is common;

And whereas,avi fauna includes Indian Peafowl (*Pavo cristatus*), Kalij Pheasant (*Lophura leucomelana*) Red Jungle Fowl (*Gallus gallus,* Common Hill Partridge (*Arborophila torqueola*), Great Hill Barbet (*Megalaima virens*), Golden-throated Barbet (*Megalaina franklinii*), Himalayan Golden-backed Three-toed Woodpecker (*Dinopiums horii)*, Indian Pied Hornbill (*Anthracoceros coromatus*), and the like;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the Kitam Bird Sanctuary and to propagate improvement and development of the wildlife therein and its environment;

And whereas, it has become necessary to specify certain areas around the Kitam Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone and to prohibit industries, operations or processes or class of industries, operations or processes in the said Eco-Sensitive Zone.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to 25 metres around the boundary of the Kitam Bird Sanctuary in the State of Sikkim as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:—

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The extent of Eco-sensitive Zone is 25 meters from the boundary of the Kitam Bird Sanctuary and in the south-western part, the extent of Eco-sensitive Zone shall be up to the outer bank of the river Rangit.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 27º7’15"N latitude and 88º21’51"E towards North East (Reference point No.1 of map); 27º6’33"N latitude and 88º20’39"E longitude towards west (Reference point No. 3 of map); 27º5’55"N latitude and 88º21’7"E longitude towards south (Reference point No. 4 of map) and 27º5’53"N latitude and 88º21’34"E longitude towards south east (Reference point No. 5 of map).

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure I**.

(4) Two villages namely upper Kitam and Lower Kitam falling within the Kitam Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes at prominent point sare appended to this notification as **Annexure II:**

Provided that the Annexure II shall be subject to the list of villagesconfirmation by the State Government in the Zonal Master Plan.

2**. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—** (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the consideration and approval of the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, in consultation with the local people and with the following concerned State Departments namely:—

(i) Forest, Environment and Wildlife Management;
(ii) Sikkim Police;
(iii) Urban Housing Development;
(iv) Tourism;
(v) Rural Management and Development;
(vi) Irrigation and Flood Control;
(vii) Public Works Development;
(viii) Land Revenue; and
(ix) Disaster Management.

(2) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.

(3) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, lakes, other water bodies and entrepreneurial units.

(4) The Zonal Master Plan shall contain the measures as may be specified by the Central Government or the State Government, for regulation of activities specified under column (2) of the table specified in paragraph 4.

(5) The Zonal Master Plan so prepared shall be co-terminus with the regional development plan.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) **Land Use.—**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC), and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents, and for the activities listed at item numbers 12, 25, 26, 30 and 31 specified under column (2) of the table in paragraph 4, namely:—

(i) Rainwater harvesting,
(ii) Cottage industries including village artisans, etc.,
(iii) Small scale industries not causing pollution,
(iv) Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc; and
(v) Security Forces Camp

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial or industrial related development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of SESZMC, only once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(2) **Natural Springs.—**The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and strict guidelines be drawn up for the prohibition of development activities at or near these areas.

(3) **Tourism.—** The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone which shall form part of the Zonal Master Plan shall be as under, namely:—

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the Ministry of Tourism and by the National Tiger Conservation Authority, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of any kind shall not be allowed within the Eco-sensitive Zone except the activity specified at item No. 30 relating to eco- tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. under column (2) of the Table in paragraph 4;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scruitinisation and recommendation of the SESZMC.

(4) **Natural heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and be preserved and proper plan be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Noise pollution.—**The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(6) **Air pollution.—**The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(7) **Discharge of effluents.—**The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974).

(8) **Solid wastes.—**Disposal of solid wastes shall be as under:—

(i) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(9) **Bio-medical waste.—**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998.

(10) **Vehicular traffic**.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, SESZMC shall monitor compliance of vehicular movement as per the rules and regulations in force.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	Yes	-	-	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance to the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Felling of trees.	-	Yes	-	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
3.	Setting up of saw mills.	Yes	-	-	
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	Yes	-	-	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
5.	Use or production of any hazardous substances.	Yes	-	-	
6.	Commercial establishment of hotels and resorts.	Yes	-	-	No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Yes	-	-	

IndiaCode

8.	Commercial water resources including ground water harvesting.	-	Yes	-	(a)The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
9.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Yes	-	-	Setting up of new hydro-electric power plants (dams, tunneling, and construction of reservoir) and expansion of existing plants in the Eco-sensitive Zone is prohibited except the micro hydel power projects (Up to 100 KW) or the mini hydel power projects (from 101 to 2000 KW), which would serve the energy needs of the local communities, subject to consent of the concerned Gram Sabha and all other requisite clearances.
10.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	-	Yes	-	Promote underground cabling.
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	-	-	Yes	
12.	Rain water harvesting	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
13.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	-	Yes	-	
14.	Vegetative fencing			Yes	
15.	Organic farming.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	-	Yes	-	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	-	Yes	-	For commercial purpose.

IndiaCode

18.	Introduction of exotic species.	-	Yes	-	
19.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Yes	-	-	
20.	Protection of hill slopes and river banks.	-	Yes	-	
21.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Yes	-	-	
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	-	Yes	-	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	-	Yes	-	
24.	Adoption of green technology for all activities.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
25.	Cottage industries including village artisans, etc.	-	-	Yes	
26.	Small scale industries not causing pollution.	-	Yes	-	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment.
27.	New wood based industry.	Yes	-	-	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
28.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	-	Yes	-	
29.	Construction activities	Yes	-	-	No new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed at item numbers 12, 25, 30 and 31. In the case of activities listed at item number 26, the construction activity shall be regulated and kept at the minimum.
30.	Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc.	-	Yes	-	

IndiaCode

31.	Security Forces Camp		Yes		
32.	Use of plastic carry bags.	Yes	-	-	

5. **State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—**(1) The Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitute a Committee to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for the State of Sikkim comprising of:—

(i) Chief Secretary, Government of Sikkim —Chairman;

(ii) Chief Wild Life Warden, Government of Sikkim —Member;

(iii) Representative of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change –Member;

(iv) PCCF, Government of Sikkim —Member;

(v) Representative of State Pollution Control Board —Member;

(vi) One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment to be nominated by the Government of Sikkim (for a term of one year) —Member;

(vii) Representative of Rural Management Department, Government of Sikkim —Member;

(viii) Representative of Govind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development, Sikkim —Member;

(ix) Representative of Agriculture Department, Government of Sikkim —Member;

(x) Representative of Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim —Member;

(xi) Concerned District Collector —Member;

(xii) Divisional Forest Officer (In-charge of PA) —Member;

(xiii) Chief Conservator of Forest (Wild Life) —Member Secretary.

(2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the SESZMC or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) SESZMC shall submit the annual action taken report of its activities as of 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change as per proforma given in **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.

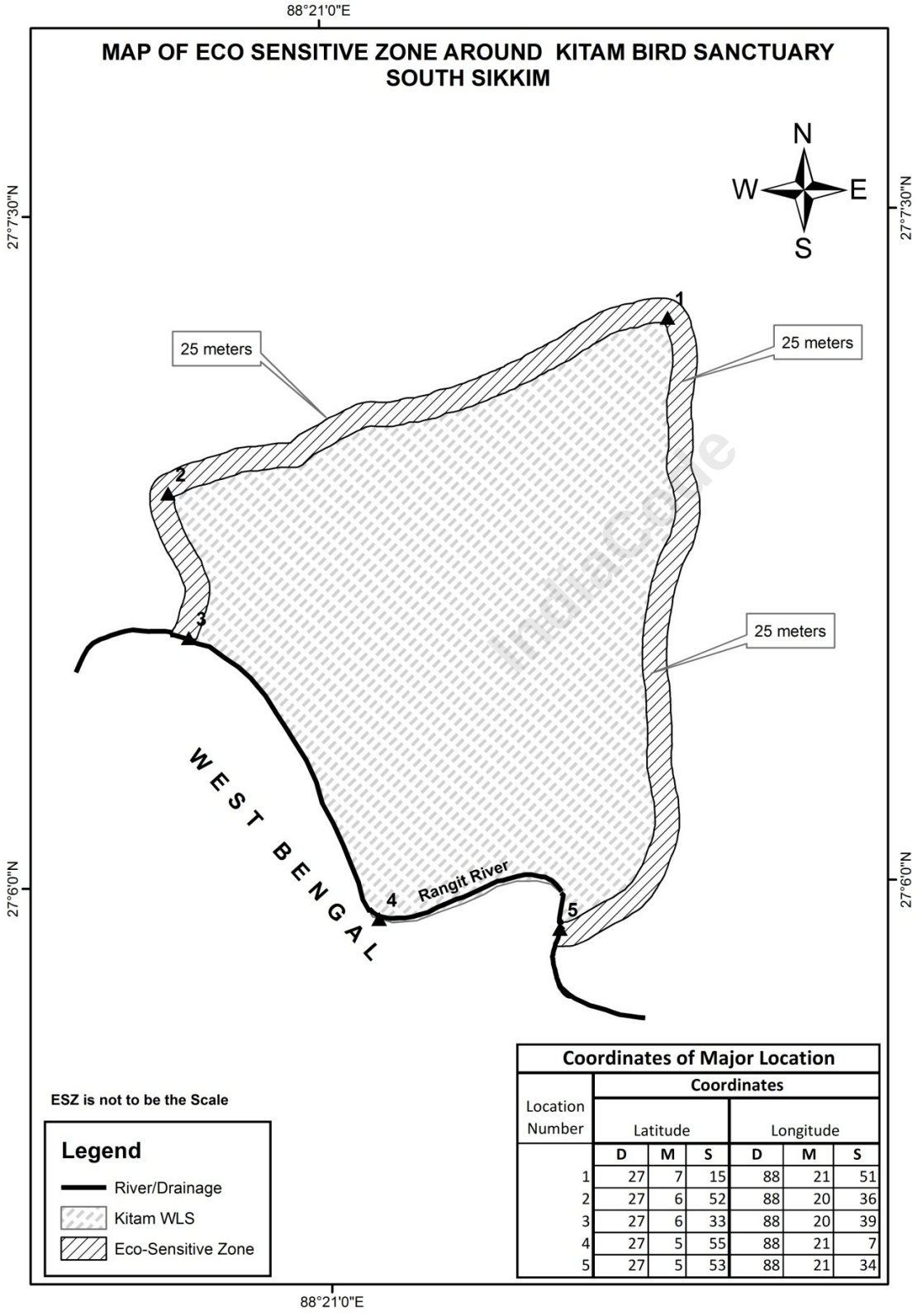
[F. No. 25/11/2013-ESZ/RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

IndiaCode

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent.



Coordinates of Major Location

Location Number	Coordinates					
	Latitude			Longitude		
	D	M	S	D	M	S
1	27	7	15	88	21	51
2	27	6	52	88	20	36
3	27	6	33	88	20	39
4	27	5	55	88	21	7
5	27	5	53	88	21	34

Annexure II

List of villages falling within the proposed Eco Sensitive Zone of Kitam Bird Sanctuary, South Sikkim.

Sl. No	Name of the village	Latitude			Longitude		
		Degree	Minute	Seconds	Degree	Minute	Seconds
1.	Upper Kitam	27	6	56	88	20	52
2.	Lower Kitam	27	7	7	88	21	28

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and data of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main not worthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism Master Plan (Eco-sensitive Zone wise)
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. (Eco-sensitive Zone wise).

 Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment (EIA) Notifications, 2006 (Eco-sensitive Zone wise).

 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under EIA Notification, 2006 (Eco-sensitive Zone wise).

 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986 (Eco-sensitive Zone wise).
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.